पत्र सं०–6 एस०एस०(6)24/2014–1891/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–...21.../...04..../2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

XX

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के नियंत्रण तथा एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 7.10 लाख (सात लाख दस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०–2201, दिनांक–20.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम अन्तर्गत ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के तहत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के नियंत्रण तथा एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 7.10 लाख (सात लाख दस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के रूप में संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य "एवियन इन्फ्लूएंजा" (बर्ड फ्लू) रोग के नियंत्रण हेतु व्यापक तैयारी किया जाना है। एवियन इन्फ्लूएंजा पक्षियों में होने वाला एक घातक रोग है। इस रोग के पक्षियों से मनुष्यों में फैलने की संभावना रहती है। पक्षियों में इस रोग के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से सर्विलेन्स का कार्य किया जाता है, जिसके तहत कुक्कुटों से स्वाब/सीरम का नमूना प्राप्त कर जाँच हेतु Regional Disease Diagnostic Laboratory, कोलकाता को भेजा जाता है। साथ ही कुक्कुटों में एवियन इन्फ्लूएंजा के उद्भेदन की स्थिति में इससे निपटने हेतु बचाव कार्य भी किया जाता है तथा प्रभावित कुक्कुटपालकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

3) "एवियन इन्फ्लूएंजा" (बर्ड फ्लू) रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता तथा नियंत्रण एवं शमन संबंधी आवश्यक जानकारी का प्रचार–प्रसार करना अति आवश्यक है। एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के फैलने से कुक्कुट पालकों को काफी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है तथा पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा के संक्रमण से मनुष्यों में भी इसके फैलने की संभावना रहती है। एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के संबंध में जनसाधारण में अनेक भ्रांतियाँ भी होती है। इस दृष्टिकोण से कुक्कुट पालकों एवं आम लोगों को इस सम्बन्ध में व्यापक जानकारी होना आवश्यक है।

4) वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत विभिन्न बजट शीर्षों/विषय शीर्षों में पर्याप्त योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–"क", "ख" एवं "ग" के रूप में संलग्न है।

5) वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा :–

(i) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 –कुक्कुट विकास, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0106 –मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02–2403001030106 (व्यय विवरणी अनुलग्नक–"क" संलग्न)।

(ii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0102 –बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्र कोड 02–2403007890102 (व्यय विवरणी अनुलग्नक– "ख" संलग्न)।

(iii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0125 –बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्र कोड 02–2403007960125 (व्यय विवरणी अनुलग्नक–"ग" संलग्न)।

6) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना, सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना तथा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7) इस योजना अन्तर्गत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु कर्णांकित राशि का व्यय सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

8) इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय, बिहार द्वारा विभाग की सहमति से विस्तृत दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जायेगा।

9) चूँकि यह एक चालू राज्य स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)24/2014 के पृ०–107/टि० एवं दिनांक–08.04.2026.

10) इस राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)24/2014 के पृ०–108/टि० एवं डायरी सं०–227, दिनांक–10.04.2026.

11) वित्त विभाग के पत्र सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/योजना शाखा–6 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014– 1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6 एस०एस०(6)24/2014–1891 /पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० प०), बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–'क'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के तहत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के नियंत्रण तथा एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001030106)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	मद का नाम	प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0106.1301 –कार्यालय व्यय	25,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना / सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सभी जिला कोषागार, बिहार।
2	0106.1302 –वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	25,000		
3	0106.1310 –भाड़े की गाड़ी का भुगतान	20,000		
4	0106.1601 –प्रकाशन एवं मुद्रण	1,000		
5	0106.2002 –कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1,000		
6	0106.2101 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	5,00,000		
7	0106.2601 –विज्ञापन और प्रकाशन	1,000		
8	0106.3302 –मुआवजा	1,00,000		
9	0106.5201 –मशीनें एवं उपस्कर	1,000		
	कुल :–	**6,74,000**		

(रुपये छः लाख चौहत्तर हजार मात्र)

1891
21/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के नियंत्रण तथा एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरूद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (विपत्र कोड 02–2403007890102)

(राशि रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0102.1301 –कार्यालय व्यय	5,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार।
2	0102.1601 –प्रकाशन एवं मुद्रण	1,000		
3	0102.2601 –विज्ञापन और प्रकाशन	1,000		
4	0102.3302 –मुआवजा	25,000		
	कुल :–	**32,000**		

(रुपये बत्तीस हजार मात्र)

8491
21/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के नियंत्रण तथा एवियन इन्फ्लूएंजा रोग के विरुद्ध व्यापक जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02–2403007960125)

(राशि रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0125.1301 –कार्यालय व्यय	2,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना / सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना / सभी जिला	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सभी जिला कोषागार, बिहार।
2	0125.1601 –प्रकाशन एवं मुद्रण	1,000		
3	0125.2601 –विज्ञापन और प्रकाशन	1,000		
	कुल :–	**4,000**		

(रुपये चार हजार मात्र)

व्यय का सारांश

क्र०	व्यय विवरणी	प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)
1	व्यय विवरणी–"क"	6,74,000
2	व्यय विवरणी–"ख"	32,000
3	व्यय विवरणी–"ग"	4,000
	कुल योग :–	**7,10,000**

(कुल रुपये सात लाख दस हजार मात्र)

सरकार के संयुक्त सचिव